इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 अप्रैल 2012—चैत्र 21, शक 1934

खेल और युवा कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. एफ 2-27-2011-नौ.—राज्य शासन द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 2012 के द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार एतद्द्वारा मध्यप्रदेश के वर्तमान राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश / देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हों अथवा भूतपूर्व खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो, को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री खिलाड़ी कल्याण कोष'' की स्थापना की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक शाह, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. एफ 2-27-2011-नौ.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2012 के द्वारा गठित ''मुख्यमंत्री खिलाड़ी कल्याण कोष'' के संचालन हेतु ''मुख्यमंत्री खिलाड़ी कल्याण कोष नियम'' 2012 का संविधान निर्मित व प्रकाशित किया जाता है :—

''मुख्यमंत्री खिलाड़ी कल्याण कोष नियम'' 2012

1. **नियम का नाम.**—उक्त नियम ''मुख्यमंत्री खिलाड़ी कल्याण कोष नियम 2012'' कहलायेंगे.

2. **उद्देश्य.**—मध्यप्रदेश के वर्तमान राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जो राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश / देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हों अथवा भूतपूर्व खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो, और जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो, को ''मुख्यमंत्री खिलाड़ी कल्याण कोष'' से आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है.

3. **परिभाषाएं.**—

3.1 ''शासन'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय से है.

3.2 ''संचालनालय'' से तात्पर्य संचालनालय, खेल और युवा कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल.

22

3.3 ''अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता'' से तात्पर्य ऐसी मान्य अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जिनमें देश का प्रतिनिधित्व किया जाता हो.

3.4 ''राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता'' से तात्पर्य ऐसी मान्य राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, जिनमें मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया जाता हो.

3.5 ''भूतपूर्व खिलाड़ी'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश के ऐसे भूतपूर्व खिलाड़ी, जिन्होंने मान्य अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो.

3.6 ''वर्तमान खिलाड़ी'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश के वर्तमान राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जो राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश / देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हों.

3.7 ''खेल'' से अभिप्राय उन समस्त खेलों से है जो मान्य राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिये चिन्हित हो.

3.8 ''गंभीर बीमारी'' से तात्पर्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा घोषित गंभीर बीमारियां.

3.9 ''दुर्घटना अथवा चोट लगने'' से तात्पर्य, अधिकृत खेल प्रतियोगिता के दौरान अथवा अधिकृत खेल प्रतियोगिता के अभ्यास के दौरान गंभीर रूप से घायल होना, दुर्घटना में स्थाई रूप से निःशक्तता होना अथवा चोट लगना.

3.10 ''उच्चतर प्रशिक्षण'' से तात्पर्य ओलम्पिक, एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, विश्वकप, विश्व चैम्पियनशिप एवं एशियन चैम्पियनशिप के लिये आधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संबंधित खेल महासंघ द्वारा अनुशंसित ऐसे खिलाड़ी, जिन्हें भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध न कराये जाने अथवा कम उपलब्ध कराये जाने की दशा में प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना.

4. **मुख्यमंत्री खिलाड़ी कल्याण कोष की स्थापना.**—वर्तमान एवं भूतपूर्व खिलाड़ियों के वेलफेयर के लिये मुख्यमंत्री खिलाड़ी कल्याण कोष की स्थापना के लिये निम्नानुसार संचालन समिति गठित की जाती है :—

1.	माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश	—	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, खेल और युवा कल्याण विभाग	—	उपाध्यक्ष
3.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग	—	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग	—	सदस्य
5.	शासन द्वारा नामांकित प्रदेश के 4 राष्ट्रीय खिलाड़ी, जिनमें एक महिला खिलाड़ी भी होगी	—	सदस्य
6.	संचालक, खेल और युवा कल्याण	—	सदस्य सचिव.

5. **नामांकित राष्ट्रीय खिलाड़ियों की पदावधि.**—शासन द्वारा नामांकित सदस्यों की पदावधि 2 वर्ष होगी. शासन किसी खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार भी नामांकित कर सकेगा.

6. **खिलाड़ी कल्याण कोष में राशि की व्यवस्था.**—राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई एक मुश्त अनुदान राशि एवं इसके पश्चात् समिति प्रायोजकों के माध्यम से राशि एकत्रित कर कोष का संचालन करेंगी. कोष में राज्य शासन से एकमुश्त प्राप्त राशि रुपये एक करोड़ का उपयोग प्रारंभिक तौर पर खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के लिये किया जा सकेगा.

7. **मुख्यमंत्री खिलाड़ी कोष के बैंक खाते का संचालन.**—मुख्यमंत्री खिलाड़ी कल्याण कोष के लिये प्राप्त राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में ''मुख्यमंत्री खिलाड़ी कल्याण कोष'' के नाम से खाता खोलकर रखी जावेगी. बैंक खाते में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज को कोष के खाते में ही जमा किया जायेगा. बैंक खातों का संचालन संचालक, खेल और युवा कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल एवं अपर / उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा.

8. **मुख्यमंत्री खिलाड़ी कोष से सहायता.**—मुख्यमत्री खिलाड़ी कल्याण कोष से पात्र खिलाड़ी को एक समय में अधिकतम रुपये 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) की सहायता दी जा सकेगी.

9. **खिलाड़ी कल्याण कोष के लिये पात्रता.**—इस कोष से सहायता हेतु ऐसे खिलाड़ी पात्र होंगे जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों तथा जिन्होंने मान्य अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो. कोष से निम्नांकित परिस्थितियों में आर्थिक सहायता की पात्रता होगी :—

- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा घोषित गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु.
- अधिकृत खेल प्रतियोगिता के दौरान अथवा अधिकृत खेल प्रतियोगिता के अभ्यास के दौरान गंभीर रूप से घायल होने, दुर्घटना में स्थाई रूप से नि:शक्तता होने अथवा चोट लगने पर इलाज हेतु.
- ओलम्पिक, एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, विश्वकप, विश्व चैम्पियनशिप एवं एशियन चैम्पियनशिप के लिये आधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संबंधित खेल महासंघ द्वारा अनुशंसित ऐसे खिलाड़ी, जिन्हें भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध न कराये जाने अथवा कम उपलब्ध कराये जाने की दशा में उच्चतर प्रशिक्षण हेतु.
- आर्थिक सहायता के लिये केवल ऐसे खिलाड़ी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय रुपये 3.00 लाख (रुपये तीन लाख मात्र) तक हो.
- चिकित्सा हेतु सहायता राशि 'मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण / चिकित्सा शिक्षा / आयुष विभाग के दिशा-निर्देशानुसार अधिकतम सीमा तक उपलब्ध कराई जा सकेगी.

10. **मुख्यमंत्री खिलाड़ी कल्याण कोष संचालन समिति की बैठक.**—समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी.

11. **नियमों में संशोधन.**—नियम में आवश्यकतानुसार संशोधन, कोष के संचालन की प्रक्रिया निर्धारण के लिये संचालन समिति अधिकृत रहेगी.

12. ये नियम अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक शाह, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.